

**::कार्यालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जोधपुर महानगर, जोधपुर::**

ईमेल—dc-jod-rj@nic.in

वेबसाइट—www.districts.ecourts.gov.in/jodhpurmetro

क्रमांक:—स्था./2024/ 41


दिनांक:— 18-04-2024

**::कार्यालय आदेश::**

राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा जारी विज्ञापन संख्या— रा.उ.न्या.जो./परीक्षा प्रकोष्ठ/अधीनस्थ न्यायालय/आशुलिपिक/2023/1515 दिनांक 28.07.2023, राजस्थान उच्च न्यायालय के पत्र क्रमांक G/I/A-4(i)(a)151/22/63 दिनांक 16.01.2024 व राजस्थान जिला न्यायालय मंत्रालयिक कर्मचारी संस्थापन नियम, 1986 (यथासंशोधित नियम) एवं इस संबंध में राज्य सरकार तथा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा जारी परिपत्रों के अधीन निम्नलिखित अभ्यर्थियों को इस न्यायक्षेत्र में दो वर्ष के परीवीक्षाकाल पर प्रथमतः छः माह के लिए राजस्थान सिविल सेवाएं (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम, 2017 में आशुलिपिक ग्रेड तृतीय (हिन्दी) के पद पर अस्थायी तौर पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से छः माह/दो वर्ष की अवधि के लिए राज्य सरकार के परिपत्र संख्या F.15(1)FD/Rules/2017, जयपुर दिनांक 30.10.2017 के अनुसार 23,700/— रूपए मासिक नियत (फिक्स) पारिश्रमिक पर नियुक्ति निम्न शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है:—

क्र.स.	मेरिट संख्या	रोल नंबर	अभ्यर्थी का नाम सर्व श्री/सुश्री/श्रीमती	जन्म दिनांक	लिंग	संवर्ग	संवर्ग जिसके विरुद्ध चयन हुआ
1	2	3	4	5	6	7	8
1	266	44070	CHANDNI MATHUR	10-07-1989	FEMALE	GEN	GEN
2	3	44171	JYOTI	21-10-1994	FEMALE	OBC	GEN
3	6	44209	KULDEEP BHATI	05-12-1998	MALE	OBC	GEN
4	10	44318	PINKI KUMAWAT	13-07-1995	FEMALE	OBC	GEN

- सभी नियुक्तियां आशुलिपिक ग्रेड—तृतीय/द्वितीय की संयुक्त परीक्षा 2023 के संबंध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन रिट याचिकाओं, भविष्य में होने वाली रिट याचिकाओं एवं विधिक कार्यवाही के निर्णयाधीन रहेंगी।
- प्रथम छः माह की अवधि में कार्य व्यवहार संतोषप्रद नहीं होने पर किसी भी समय बिना पूर्व सूचना के नवनियुक्त अभ्यर्थी की सेवायें समाप्त की जा सकेंगी।
- प्रथम छः माह में कार्य संतोषजनक पाये जाने पर परीवीक्षाकाल एक साथ या समुचित अन्तराल पर दो वर्ष तक बढ़ाया जावेगा। पूरे परीवीक्षाकाल में कार्य एवं व्यवहार संतोषप्रद होने पर ही उपरोक्त वेतनमान (पे—मेट्रिक्स) में न्यूनतम देय वेतन नियत किया जावेगा।
- अभ्यर्थीगण द्वारा प्रस्तुत समस्त प्रमाण पत्रों के संबंधित संस्थाओं के सत्यापन के अधीन अस्थाई नियुक्ति दी गई है। सत्यापन में कोई भी दस्तावेज या सूचना मिथ्या पाई गई तो बिना पूर्व सूचना के सेवायें समाप्त की जा सकेंगी।
- पुलिस सत्यापन हेतु प्रस्तुत की गई सूचनायें या सत्यापन सही नहीं पाये जाने पर या उसके पूर्व का आचरण व व्यवहार प्रतिकूल पाये जाने पर बिना नोटिस दिये सेवायें समाप्त की जा सकेंगी।
- अभ्यर्थी द्वारा राज्य सरकार के वित्त विभाग के आदर्शों के अधीन चिकित्सा व्यय के पुनर्भरण के संबंध में राज्य सरकार/माननीय उच्च न्यायालय के नियम/परिपत्र लागू होंगे।
- राज्य सरकार या माननीय उच्च न्यायालय के नियम/परिपत्र के अधीन पेंशन योजना लागू होगी।
- इस आदेश की प्राप्ति के 7 कार्य दिवस के भीतर कार्यभार ग्रहण करना होगा अन्यथा यह माना जावेगा कि संबंधित अभ्यर्थी नियुक्ति का इच्छुक नहीं है एवं उस सूरत में उसकी नियुक्ति निरस्त कर दी जावेगी।
- नवनियुक्त अभ्यर्थीगण पर राज्य सरकार एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा समय—समय पर जारी परिपत्र, सेवा नियम एवं आचरण नियम लागू होंगे।
- अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व राजस्थान सेवा नियम, 1951 के नियम 10 के तहत सेवा में योग्य होने का सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।


  
जिला एवं सेशन न्यायाधीश,  
जोधपुर महानगर, जोधपुर।

क्रमांक: 438-443

दिनांक: 18-01-2024

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. श्रीमान् रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
2. प्रभारी अधिकारी लेखानुभाग, जिला न्यायालय, जोधपुर महानगर, जोधपुर को दो प्रति में।
3. Ms. चांदनी माथुर पुत्री श्री दयालचंद माथुर, निवासी अम्बा कॉलोनी, कुचामन सिटी, जिला डीडवाना कुचामन, मो.नं. 9571140581।
4. श्रीमती ज्योति पुत्री श्री दामोदर सिंह, पत्नी श्री आईबक्स, निवासी- L-216A, ओल्ड लोको कॉलोनी, बालाजी मंदिर के पास, जेडीए चौराहा, रातानाडा, जोधपुर, मो.नं. 9588055104।
5. श्री कुलदीप भाटी पुत्र श्री महेश भाटी, निवासी-हराला बेरा, चौखां, जिला जोधपुर (राज.) मो.नं. 9694417449।
6. श्रीमती पिंकी कुमावत पुत्री श्री भगवान सहाय, पत्नी श्री मुकेश कुमार कुमावत, निवासी-ढाणी नागान, जोबनेर, तहसील सांभर लेक, जिला जयपुर, मो.नं. 8058666037।



जिला एवं सेशन न्यायाधीश,  
जोधपुर महानगर, जोधपुर।